

भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1241
(11 फरवरी, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए)
अमृत सरोवर योजना

1241. श्री अरुण गोविल:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विगत दो वर्षों के दौरान एक लाख अमृत सरोवर बनाए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) लगभग साठ वर्ष पूर्व हरित क्रांति के पश्चात देश में भूजल के अंधाधुंध दोहन के कारण उत्पन्न जल संकट से निपटने के लिए उठाए गए कदमों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त मिशन के अंतर्गत प्रत्येक जिले में कम से कम 75 अमृत सरोवर बनाने की जिलावार योजना थी;

(घ) क्या अमृत सरोवर का निर्माण जिले के बजाय ग्राम को आधार इकाई मानकर किए जाने पर देश में भूजल संकट की समस्या का समाधान हो सकता है;

(ङ) क्या सरकार का ग्राम स्तर पर अमृत सरोवर बनाने का विचार है , क्योंकि पहले जिले को आधार इकाई मानकर अमृत सरोवर का निर्माण किया गया था; और

(च) यदि हां, तो क्या सरकार का अमृत सरोवर के निर्माण के लिए संबंधित ग्राम पंचायत को वित्तीय सहायता प्रदान करने का भी विचार है?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(श्री कमलेश पासवान)

(क) से (घ): प्रत्येक जिले में 75 अमृत सरोवर (तालाब) बनाने या पुर्ननिर्माण करने के उद्देश्य से अप्रैल 2022 में मिशन अमृत सरोवर की शुरुआत की गई थी। इस पहल से देश भर में कुल 50,000 सरोवर बनने थे। इस पहल से जल संकट के गंभीर मुद्दे को हल करने में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। जनवरी 2025 तक 68,000 से अधिक सरोवर बनकर तैयार हो चुके हैं , जिससे विभिन्न क्षेत्रों में सतही और भूजल की उपलब्धता में वृद्धि हुई है। इन सरोवरों ने न केवल तत्काल जल आवश्यकताओं को पूरा किया है , बल्कि स्थायी जल स्रोत भी स्थापित किए हैं , जो दीर्घकालिक पर्यावरणीय स्थिरता और सामुदायिक कल्याण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता का प्रतीक है।

(ङ.) से (च): मिशन अमृत सरोवर के दूसरे चरण में जल उपलब्धता सुनिश्चित करने पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित किया जाएगा , जिसमें सामुदायिक भागीदारी (जनभागीदारी) को केंद्र में रखा जाएगा और इसका उद्देश्य जलवायु अनुकूलता को मजबूत करना, पारिस्थितिकी संतुलन को बढ़ावा देना और भावी पीढ़ियों को स्थायी लाभ पहुंचाना है।

मिशन अमृत सरोवर के काम को राज्यों और जिलों द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (महात्मा गांधी नरेगा) , 15वें वित्त आयोग अनुदान , प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की उप-

योजनाओं जैसे वाटरशेड विकास घटक , हर खेत को पानी , के अलावा राज्यों की अपनी योजनाओं के साथ मिलकर शुरू किया जा रहा है। इस कार्य के लिए जनभागीदारी से वित्त पोषण और कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी जैसे जन योगदान की भी अनुमति है।
